<u> 1 🌺 आपराधिक प्रकरण कमांक 236/2003</u>

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 236 / 2003 इ0फो0 संस्थापित दिनांक 19 / 07 / 1994 फाईलिंग नम्बर 230303000322003

TI Pafeld

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

<u>.....</u> अभियोजन

बनाम

 राजू पुत्र खलक सिंह बाथम उम्र 46 साल व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम टिहोली पुलिस थाना उटीला,जिला ग्वालियर म0प्र0

<u>....अभियुक्त</u>

(अपराध अंतर्गत धारा–429,379एवं227 भादस) (राज्य द्वारा एडीपीओ–श्री प्रवीण सिकरवार।) (आरोपी राजू द्वारा अधिवक्ता–श्री एम.पी.एस.राणा उप०)

<u>::- निर्णय -::</u>

(आज दिनांक 20 / 12 / 2016 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 13/06/94 को शाम करीबन 7:00बजे वैशली बांध गोहद में शासन को सदोष हानि पहुचाने के आशय से जल में जहरीला पदार्थ डालकर मछिलयों की मृत्यु कारित कर रिष्टी कारित करने,जल में विषाक्त पदार्थ डालकर जल को कलूषित कर अनुपयोगी करने एवं शासन के आधिपत्य से उसकी सहमित के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से जलाशय में स्थित मछिलयों को पकडकर ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भादस की धारा 429,277 एवं 379 के अंतर्गत आरोप हैं।

- 2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15/06/94 को शाम करीबन साढे 4 बजे फरियादी राजेन्द्र कुशवाह द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद में यह आवेदन प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 13/06/94 को शाम करीबन 7:00बजे आरोपी राजू एवं दामों द्वारा गोहद जलाशय में मछली मारने के उददेश्य से कोई जहरीला पदार्थ डालकर जानबूझकर जल खराब कर दिया एवं करीब दो हजार रूपये मूल्य की मछलियाँ मार डाली है जिससे शासन को काफी क्षति हुई है। नदी पर मछलियाँ मरी पडी है फरियादी द्वारा दिये गये उक्त लेखीय आवेदन के आधार पर पुलिस थाना गोहद में अप0क्र0122/94 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबध्द किये गये थे। आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- 3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपी को आरोपित आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व

प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

- 4. यह उल्लेखनीय हैिक प्रकरण में आरोपी दामों के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 20/09/05 को निर्णय घोषित किया जा चुका है एवं मात्र आरोपी राजु के विरूद्ध विचारण शेष हैं।
- 5. द०प्र०स०की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया हैकि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंटा फंसाया गया हैं।
- 6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न ह्ये है :--
- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 13/06/94 को शाम करीबन 7:00बजे वेशली बांध गोहद में शासन को सदोष हानि कारित करने के आशय से जल में जहरीला पदार्थ डालकर मछलियों की मृत्यु कारित कर रिष्टी कारित की?
- 2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर बेईमानीपूर्ण आशय से जलाशय में स्थित मछलियों को ले जाकर चोरी कारित की?
- 3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर वैशली बांध के जलाशय में विषाक्त पदार्थ डालकर जल को कलूषित कर अनुपयोगी बनाया?
- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी मोहर आ0सा01,श्यामबिहारी उफ भम्पाला आ0सा02,एवं शिवराम शर्मा आ0सा03 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,एवं 3

- 8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा हैं।
- 9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी मोहर सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैिक वह आरोपीगण को नहीं जानता है वह फरियादी राजेन्द सिंह को भी नहीं जानता है उसे मछिलयों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है उसके सामने कुछ नहीं हुआ था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थननहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया गयाहैिक आरोपीगण ने बांध में जहरीला पदार्थ डाला था जिससे मछिलयाँ मर गई थी एवं सुझाव से भी इंकार किया हैिक उसने उक्त बात की सूचना मछिली विभाग को दी थी।
- 10. साक्षी श्यामबिहारी आ०सा०२ ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया हैिक वह आरोपीगण को नहीं जानता है उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया हैिक आरोपीगण ने बांध के पानी में दवाई डालकर मछिलयों को मारा था।

- 11. साक्षी गुडडू उर्फ कमल आ०सा०४ ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया हैकि पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफतार नहीं किया था गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०५ के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया हैकि आरोपी राजू को उसके सामने गिरफतार किया गया था।
- 12. शिवराम शर्मा आ०सा०३ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
- प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी मोहर सिंह आ०सा०1,श्यामबिहारी आ०सा०2 एवं गुडडू उर्फ कमल आ०सा०4 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनो में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया हैं।
- यह उल्लेखनीय हैकि प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रकरण में फरियादी राजेन्द्र सिंह को 15. परीक्षित नहीं कराया जा सका है। यहां यह भी उल्लेखनीय हैकि फरियादी राजेन्द्र सिंह के लेखीय आवेदन के आधार ही पुलिस थाना गोह में आरोपीगण के विरूद्ध प्र0पी02 की प्रथम सुचना रिर्पोट लेखबद्ध की गई है एवं यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में साक्षी मोहर सिंह एवं श्यामबिहारी द्वारा फरियादी राजेन्द्र सिंह को आरोपीगण के विरूद्ध दिये गये आवेदन के आधार पर फरियादी राजेन्द्र सिंह द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध कराई गई थी। यघपि फरियादी राजेन्द्र सिंह को अभियोजन द्वारा साक्ष्य के दौरान परीक्षित नहीं कराया गया है परन्तु फरियादी राजेन्द्र सिंह का लेखीय आवेदन अभिलेख में संलग्न है जिसके अवलोकन से यह दर्शित हैकि उसने साक्षी मोहर सिंह एवं श्यामबिहारी द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना गोहद में लेखीय आवेदन दिया था इस प्रकार फरियादी राजेन्द्र सिंह द्वारा श्यामबिहारी एवं मोहर सिंह द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना गोहद में लेखीय आवेदन दिया गया था एवं साक्षी मोहर सिंह आ०सा०1 तथा श्यामबिहारी आ०सा०२ द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया हैकि उन्होनें आरोपीगण द्वारा बांध में जहरीला पदार्थ डालने की सूचना मत्स्य विभाग को दी थी ऐसी स्थिति में जब कि मोहर सिंह आ0सा01 एवं श्यामबिहारी आ०साँ०२ द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी के विरूद्ध के कोई कथन नहीं दिया गया है। यदि अभियोजन द्वारा फरियादी राजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया भी गया होता तो भी उससे अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता था क्योंकि फरियादी राजेन्द्र सिंह द्वारा साक्षी मोहर सिंह एवं श्यामबिहारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध आवेदन दिया गया था एवं श्यामबिहारी तथा मोहर सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपीगण के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। फलतः फरियादी राजेन्द्र सिंह को परीक्षित न कराये जाने से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता हैं।

- जहां तक विवेचक शिवराम शर्मा आ०सा०३ के कथन का प्रश्न है तो शिवराम शर्मा 16. आ०सा०३ ने अपने कथन में विवेचना को प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुये उक्त साक्षी के कथन का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता हैं।
- समग्र अवलोकन से यह दर्शित हैकि प्रकरण में साक्षी मोहर सिंह आ०सा०1,श्यामबिहारी 17. आ०सा०२, एवं गुडडू उर्फ कमल आ०सा०४ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है विवेचक शिवराम शर्मा आ0सा03 प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यहदर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने वैशाली बांध के जल में जहरीला पदार्थ डालकर मछलियों की मृत्यु कारित कर रिष्टी कारित की,जल को अनुपयोगी बनाया एवं जलाशय से मछलियों को ले जाकर चोरी कारित की। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध मे दोषारोपित नहीं किया जा सकता हैं।
- यह अभियोजन दायित्व है कि वह आरोपी के विरूध्द अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरूध्द मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 13/06/94 को शाम करीबन 7:00बजे वैशली बांध गोहद में शासन को सदोष हानि पह्चाने के आशय से जल में जहरीला पदार्थ डालकर मछिलयों की मृत्यु कारित कर रिष्टी कारित की ,जल में विषाक्त पदार्थ डालकर जल को कलूषित कर अनुपयोगी किया एवं शासन के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से जलाशय में स्थित मछलियों को पकडकर ले जाकर चोरी कारित की। फलतःयह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी राजू को भादस की धारा 429,277 एवं 379 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है। 20.
- प्रकरण में जप्तश्रदा कोई सम्पत्ति नहीं है। 21.

स्थान – गोहद दिनांक - 20 / 12 / 2016 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0

